न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/112

1. रामनारायण आत्मज श्री कल्याण जाति अहीर निवासी ग्राम ओलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती कमला आयु 75 वर्ष पत्नी स्व0 श्री रामनारायण जाति अहीर निवासी होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. रामप्रसाद आुय 55 वर्ष ।
   1/3. रमेश आयु 52 वर्ष पिसरान स्वर्गीय श्री रामनारायण जाति अहीर निवासीयान ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती धनकंवर आयु 48 वर्ष पुत्री श्री रामनारायण पत्नी श्री रामकिशन तरकम अहीर निवासी धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती राधा आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामनारायण पत्नी ही हनुमान जाति अहीर निवासी रहमाननगर चौरू की झौंपडियॉ तहसील उनियारा जिला टोंक ।
2. नन्दकिशोर
3. ओमप्रकाश
4. श्रीमती इन्द्र बाई
5. श्रीमती मीरा पिसारान श्री छोट्या जातियान अहीर निवासीयान होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमती कंचन बाई बेचा श्री छोट्या जाति अहीर निवासी होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायाण आत्मज श्री भंवर लाल जाति अहीर निवीस ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शोजी आत्मज गोपाल जाति अहीर निवीस ग्राम धाबाईयों का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रामपाल आत्मज गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम धाबाईयों का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. देवकरण आत्मज श्री रामसुख जाति अहीर निवासी ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. रघुनाथ आत्मज बजरंगा जाति अहीर निवासी ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. सत्यनारायण आयु 55 वर्ष ।

5/2. शंकर लाल आयु 45 वर्ष ।
5/3. विजेन्द्र आयु 41 वर्ष पिसरान स्व0 श्री रघुनाथ जातियान अहीर निवासीयन ग्राम होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5/1 से 5/3 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 13.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 सत्यनारायण, देवीलाल, शम्भूलाल एवं कस्तूरी बेवा भंवर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम औलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 72 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 75 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 466 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 467 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 468 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा एवं गैर मु0 चाह आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया और वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करने का निवेदन किया ।

3. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का

आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 22.03.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 से 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया । न्यायालय हाजा में अपने निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया और प्रतिवादीगण अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में साक्ष्य आदि पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था । प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2019 के द्वारा प्रतिवादीगण अपीलान्ट की साक्ष्य बन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपील संख्या 49/10 निर्णय दिनांक 23.07.2015 को निरस्त किया जा चुका है । इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्व का निर्णय व डिक्री अस्तित्व नहीं ही नहीं रहा है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को ही निर्णय माकर आलोच्य निर्णय देने में गंभीर त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने कई बार लोक अदालतों में प्रकरण को रखा गया जिसकी कोई सूचना एवं बाद की तारीखों की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं हुई न आदेशिकाओं में अपीलान्ट प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज की गई । इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । दिनांक 18.11.2019 को पटवारी हल्का द्वारा दावे में भूमि की प्राथमिक बंटवारा रिपोर्ट बनाने बाबत् कहने पर अपीलान्ट नन्दकिशोर अपने अभिभाषक के साथ दिनांक 20.11.2019 को तलाश करने गया तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने प्रतिवाद पत्र की चरण संख्या 04 में आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा के दक्षिणी ओर के आधे हिस्से को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 12.06.2000 को 1,25,000/– रूपये में विकय कर कब्जा संभलाने का

अभिवचन किया हुआ है । जिसके सम्बन्ध में मूल विक्रय पत्र अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा कैम्प बून्दी के यहॉ अपील संख्या 49/10 में प्रार्थना आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश किया था । उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को भेजा गया । उक्त दस्तावेज न्यायालय हाजा की पत्रावली में रह गया और वह परीक्षण न्यायालय में नहीं जा सका । तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2016 को मूल विक्रय पत्र लौटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने के कारण वह समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था । उक्त दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपंजीकृत बयनामा है । चूँकि उक्त दस्तावेज के आधार पर ही प्रस्तुत प्ररकण का निस्तारण होना है । अतः न्यायहित में उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 49/2010 प्रस्तुत की जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 01 वादी द्वारा खसरा नम्बर 191 की भूमि को 120000/– रूपये में अपीलान्ट को विक्रय कर देने का विक्रय पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था । बाद सुनवाई उक्त अपील को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2010 को निरस्त करते हुए उक्त बेचाननामा को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश पारित करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13.09.2019 के द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट का दस्तावेज पेश करने का अधिकार बन्द कर दिया और पूर्व निर्णय दिनांक 22.03.2010 की पालना में प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट पेश करने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे तथा उक्त विक्रय पत्र को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलआर 1999 (2) पेज 303, आरआरडी 1989 पेज 95, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1995 पेज 577, आरआरडी 1988 पेज 114 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 49/2010 प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज पेश किया था जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की गई तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और अपीलान्ट को उक्त दस्तावेज परीक्षण न्यायालय में पेश किये जाने बाबत् निर्देशित किया था परन्तु अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में उक्त दस्तावेज को पेश नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त दस्तावेज पेश किये जाने बाबत् कई अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा उक्त दस्तावेज को समय पर पेश नहीं किया गया । उक्त दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है जिसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । उक्त दस्तावेज भी अपंजीकृत है जिसका कोई विधिक मूल्य नहीं है । यह साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है । विभाजन जमाबन्दी हिस्से अनुसार हुआ है जो सही है निर्णय को केवल विस्तार से नहीं लिखा बल्कि पुराने निर्णय को माना जो सही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1992 (2) पेज 389, आरएलडब्ल्यू 1989 (1) पेज 384, आरआरडी 1992 पेज 29, आरआरडी 1992 पेज 415, आरआरडी 1984 पेज 227, आरआरडी 1996 पेज 148, आरएलडब्ल्यू 1974 पेज 296 उद्धरत किये ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 49/2010 प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । उक्त अपील में

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज पेश किया था जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की गई तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और अपीलान्ट को उक्त दस्तावेज परीक्षण न्यायालय में पेश किये जाने बाबत् निर्देशित किया था । अपीलान्ट प्रतिवादी का दायित्व था कि वह समयबद्ध प्रयास कर उक्त दस्तावेज को परीक्षण न्यायालय में पेश करते। वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में 27.06.2001 को हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा स्वीकार कर वाद वादी डिक्री कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2010 की अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा अपीलान्ट को दस्तावेज प्रस्तुत कर साक्ष्य हेतुत प्रतिप्रेषित किया गया परन्तु आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा समय पर दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.09.2019 पर अंकित किया है कि "पत्रावली पेश । वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने से अब तक भी दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । अब और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है । दस्तावेज पेश करने का अधिकार बन्द किया जाता है । पूर्व में जारी निर्णय की पालना में प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट पेश करने हेतु N.T.D.R. दबलाना को तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 15.11.2019 को पेश हो ।" दिनांक 15.11.2019 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश । तहरीर जारी कर बइन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 15.01.2020 को पेश हो ।" पूर्व में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2015 इस प्रकार है– "अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.03.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त दस्तावेज पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि लेकर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 26.08.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।" इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2015 के द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.03.2010 को निरस्त किया, तथा स्पष्ट निष्कर्ष के साथ निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.09.2019 पर अंकित निर्णय/आदेश में पूर्व में जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश हैं । अब तकनीकी व विधिक रूप से यह प्रश्न उठता है कि जो निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, क्या वह निर्णय अब अस्तित्व में है ? परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दिनांक 21.11.2019 के उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के पत्र में भी दिनांक 22.03.2010 की प्राथमिक डिक्री की छाया प्रति प्रेषित की है । अतः विधिक व तकनीकी रूप से जो निर्णय निरस्त हो चुका है । उस आधार पर किस प्रकार N.T.D.R. दबलाना को तहरीर जारी की गई है । हमारे मत में यह विधि अनुसार उचित नहीं है । हमारा विनम्र मत है कि जिस निर्णय को अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया था तो उसके स्थान पर परीक्षण न्यायालय द्वारा स्पष्ट व नवीन निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से

सहमत हैं कि यह वाद सन् 2001 से लम्बित चल रहा है तथा इसमे ओर डिले नहीं होना चाहिए । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से भी सहमत हैं कि समय पर दस्तावेज पेश करना अपीलान्ट का उत्तरदायित्व था । उपुर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 13.09.2019 को विधिक व तकनीकी रूप से सही नहीं माना जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2019 में स्पष्टता का अभाव है । परीक्षण न्यायालय को Speaking व Reasoned निर्णय पारित करना चाहिए था । इस आधार पर हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2019 को निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

14. उपुर्यक्त स्थिति में हम यह भी आदेशित किया जाना उचित समझते हैं कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मूल ही परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर भिजवाया जावे । मूल दस्तावेज की छाया प्रति इस न्यायालय की पत्रावली में रिकॉर्ड के रूप में रखी जावे । अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में सन् 2015 से 2019 तक उक्त दस्तावेज पेश नहीं किया । यह अपीलान्ट की घोर लापरवाही को दर्शाता है तथा इससे वाद निर्णित होने में विलम्ब होता है । अतः 3000/– रूपये की कोस्ट अपीलान्ट पर लगायी जाती है । अपीलान्ट कोस्ट की राशि 3000/– रूपये रेस्पोडेन्ट को अदा करे । पक्षकारान को प्रकरण का त्वरित निस्तारण करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी अपीलान्ट 3000/– रूपये कोस्ट वादी रेस्पोडेन्ट को जमा करे । तद्उपरान्त उक्त दस्तावेज पर पक्षकारान को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 90 दिवस में स्पष्ट निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.10.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा